

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 266 / 2020 में वांछित चल रहे 15,000-15,000 / रूपये का पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तगण हाजी आकिल व आदिल की गिरफ्तारी के संबंध में।

मु0अ0सं0-266 / 2020

धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम- हाजी आकिल व आदिल

दिनांक घटना-30.10.2020

समय- 07:00 बजे

घटना स्थल- अभियुक्तगण का घर

दिनांक गिर0 / बरा0-30.10.2020

समय-07:00 बजे

गि0 / बरा0 स्थल- अभियुक्तगण का घर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-हाजी आकिल पुत्र जमील निवासी मौ0 सराय रजब अली थाना नहतौर, बिजनौर।

2-आदिल पुत्र हाजी आकिल निवासी मौ0 सराय रजब अली थाना नहतौर, बिजनौर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-266 / 2020

धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट

अपराधिक इतिहास

1-मु0अ0सं0 152 / 2020 धारा 188 / 268 / 269 / 270 / 271 / 429 भादवि व 3 / 5क / 8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु कूरता अधिनियम व धारा 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 3 महामारी एक्ट थाना नहतौर, बिजनौर।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना नहतौर पर वांछित 15,000-15,000 / रूपये के ईनामी अभियुक्तगण हाजी आकिल व आदिल निवासी मौ0 सराय रजब अली थाना नहतौर, बिजनौर जो थाना नहतौर के मु0अ0सं0 266 / 2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट मे फरार चल रहे थे।

आज दिनांक 30.10.2020 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा ईनामी अभियुक्तगण हाजी आकिल व आदिल उपरोक्त को समय 07.00 बजे अभियुक्तगण उपरोक्त के घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह 2-व0उ0नि0 श्री सुदेश पाल सिंह 3-उ0नि0 श्री जोगेन्द्र बैसला 4-कां0 807 शोभाराम थाना नहतौर, जनपद बिजनौर।



थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 280 /2020 में वांछित चल रहे 15,000–15,000 /रूपये का पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तगण जागीर व किशनचंद की गिरफ्तारी के संबंध में।

मु0अ0सं0–280 /2020

धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट बनाम– जागीर व किशनचंद

दिनांक घटना–30.10.2020

समय– 05:10 बजे घटना स्थल– कटार मल तिराहा

दिनांक गिर0 /बरा0–30.10.2020

समय–05:10 बजे

गिर0 /बरा0 स्थल–कटार मल तिराहा

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:–

1–जागीर पुत्र वचन सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर, जनपद बिजनौर

2–किशनचंद पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर, जनपद बिजनौर **बरामदगी**

का विवरण–

02 चाकू नाजायज

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

मु0अ0सं0 325–326 /20 धारा 4 /25 शस्त्र अधिनियम

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना अफजलगढ से वांछित 15,000–15,000 /रूपये के ईनामी अभियुक्तगण जागीर व किशनचंद निवासी ग्राम भोगपुर थाना बढापुर, जनपद बिजनौर जो थाना अफजलगढ के मु0अ0सं0 280 /2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट मे फरार चल रहे थे।

आज दिनांक 30.10.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा ईनामी अभियुक्तगण जागीर व किशनचंद उपरोक्त को समय 05:10 बजे कटार मल तिराहा से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1–प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश तिवारी 2–उ0नि0 श्री किरणपाल सिंह 3–उ0नि0 श्री रविन्द्र नैन
4–उ0नि0 श्री साहब सिंह 5–कां0 सुधीर सिंह थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर।



एण्टी रोमियों:- पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद स्तर पर सभी थाना क्षेत्रों में गठित एंटी रोमियों स्कवायड टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में बाजार, पार्को आदि में चैकिंग की गई, संदिग्धों से पूछताछ कर हिदायत देकर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।



थाना अफजलगढ- आज दिनांक 30.10.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त शरीफ अहमद पुत्र अख्तर हुसैन व अभियुक्त मोहम्मद साबिर पुत्र स्वर्गीय अली हुसैन निवासी ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ, जनपद बिजनौर को धारा 151 crpc में गिरफ्तार किया गया।



थाना मण्डावली- अवगत कराना है कि दिनांक 29-10-2020 को थाना मंडावली क्षेत्रांतर्गत एक 20 वर्षीय मंदबुद्धि/मूकवधिर लड़की के साथ मोहित पुत्र हरिसिंह निवासी प्रेमपुरी थाना मंडावली, जनपद बिजनौर द्वारा उसके घर में घुसकर दुस्कर्म किया गया था। जिसके सम्बन्ध में पीडिता की माँ की तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 211/20 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त मोहित उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।



थाना मण्डावली— आज दिनांक 30.10.2020 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त खूब सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम गांवड़ी थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर को धारा 151 crpc में गिरफ्तार किया गया।



- आज दिनांक 30.10.2020 को थाना कोतवाली देहात पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा अपने क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएँ कर महिलाओं/बालिकाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में चलाये जा रहे विशेष अभियान के सम्बन्ध में हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

